



DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Viniyamak Bhawan, Shivalik, C-Block, Malviya Nagar, New Delhi-110017
Telefax : 26673608, website : www.derc.gov.in

PUBLIC NOTICE

STAFF PAPER ON DETERMINATION OF OPEN ACCESS CHARGES

1. In pursuance of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the Tariff Policy of the Government of India, the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC), a statutory body set up by the Government of NCT of Delhi, has prepared a Staff paper on determination of Open Access Charges.
2. The Staff paper on determination of Open Access Charges can be downloaded from the website of the Commission www.derc.gov.in. Copies of the Staff Paper would be available for sale at the DERC office on any working day from 20th May, 2008 to 17th June 2008 between 11.00 a.m and 4.00 p.m against a payment of Rs. 25/- by Cash or Demand Draft/Pay Order/Indian Postal Order payable to the Secretary, DERC at New Delhi.
3. All stakeholders are requested to forward their comments of the " Staff Paper on Determination of Open Access Charges " latest by 17th of June 2008. Comments may be forwarded to the Secretary, Delhi Electricity Regulatory Commission either by post or through e-mail secyderc@nic.in.
4. The Commission will hold a Public Hearing before finalizing the Open Access Charges. The date of Public Hearing shall be notified later.

Secretary
Delhi Electricity Regulatory Commission

Staff Paper on Determination of Open Access Charges



दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

विनियामक भवन, सी-ब्लॉक, शिवालय, मालवीय नगर, नई दिल्ली 110017
फोन: 26673608, वेबसाइट: www.derc.gov.in

सार्वजनिक सूचना

ओपन ऐक्सेस प्रभार के निर्धारण हेतु स्टॉफ का चर्चा-पत्र

1. विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और भारत सरकार की दर नीति के अनुसार, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय, ने ओपन ऐक्सेस प्रभार के निर्धारण हेतु स्टॉफ का चर्चा-पत्र तैयार किया है।
2. ओपन ऐक्सेस प्रभार के निर्धारण हेतु स्टॉफ का चर्चा-पत्र आयोग की वेबसाइट: www.derc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टॉफ के चर्चा-पत्र की प्रतियां विक्री के लिए DERC के कार्यालय पर उपलब्ध होंगी जो दिनांक 20 मई, 2008 से 17 जून, 2008 तक सुबह 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे के मध्य किसी भी कार्यदिवस में रुपये 25/- के नकद भुगतान अथवा डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/भारतीय पोस्टल-आर्डर जो सचिव, DERC के नाम दिल्ली पर देय हों के भुगतान पर प्राप्त होंगी।
3. सभी स्टोक-होल्डरों से निवेदन है कि वे ओपन ऐक्सेस प्रभार के निर्धारण हेतु स्टॉफ के चर्चा-पत्र पर अपनी टिप्पणी आयोग के पास 17 जून, 2008 से पहले भेजें। टिप्पणियां सचिव, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के पास या तो डाक द्वारा भेजें अथवा ई-मेल: secyderc@nic.in पर भेजें करें।
4. आयोग ओपन ऐक्सेस प्रभार पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सार्वजनिक-सुनवाई अर्पणित करेगा; सार्वजनिक-सुनवाई की तिथि बाद में सूचित की जाएगी।

सचिव
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग